Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या 104/2025 हरिमन बनाम रामचरण अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO 2025/314

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.7.25	अपील श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराजीयात के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर मे मु0न0 27/25 प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी/रेस्पो0 के अधिवक्ता की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी जाकर विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जाने के आदेश दिये गये है। जिसका अंकन जमाबंदी मे किया जा चुका है। जिसके बाबजूद रेस्पो0 हरिकेश द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि हरिमन खेतो की जुताई नही करने दे रहा है। इसलिए पुलिस इमदाद से खेतो की जुताई कराई जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश कमांक 2069 दिनांक 27.6.25 के द्वारा बिना किसी आधार के अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर अपीलांट को बिना सुने ही प्रार्थी/रेस्पो0 एवं अपीलांट के पूर्व कब्जे अनुसार खेतो की जुताई हेतु संबंधित थानाधिकारी से समन्वय स्थापित कर खेतो को जुतवाने का आदेश तहसीलदार वजीरपुर को विधि विरूद्व दिया गया। जो निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है और सहखातेदारी की आराजीयात पर प्रत्येक सह खातेदार का हिस्से मुताबिक प्रत्येक इंच पर हक एवं अधिकार होता है। बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से आदेश दिनांक 27.6.25 पारित किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.6.25 की कियान्विति स्थगित करते हुए उक्त आदेश को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा कार्यालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर के पत्र कमांक 2069 दिनांक 27.6.25 के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। जो किसी प्रकार का निर्णय नही होकर केवल मात्र सामान्य पत्राचार है, जो न्यायालय के द्वारा जारी नही कर कार्यालय से जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त पत्र कमांक 2069 दिनांक 27.6.25 किसी प्रकार के न्यायिक निर्णय की श्रेणी मे नही आता है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर